हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त, 2015 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाहन आरम्भ हुई।

शोकोद्गार

28.08.2015/1100/TCV/DC/1

अध्यक्षः बड़े दुख की बात है कि हमारे साथी और भाजपा के सदस्य श्री रामदास मलांगड़ आज हमारे बीच में नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्री स्व0 श्री रामदास मलांगड़, पूर्व सदस्य/उपाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्‌गार प्रस्तुत करेंगे।

Chief Minister: Mr. Speaker Sir, I wish to inform the Hon'ble House that Shri Ram Dass Malangar former Deputy Speaker of this House died this morning in hospital. He died from heart attack at 10.00 a.m. today in Una. He was born at village Amrehra, Tehsil Bangana, District Una on 20th August, 1947. He studied up to Matriculation. He started his political career as President, Gram Panchyat, Malangar, Distt. Una. He was elected to Himachal Pradesh Vidhan Sabha in 1993 and re-elected in 1998. He remained Deputy Speaker of this House from 20thAugust,1999 to 20th January, 2003.

Shri Ram Dass Malangar was a very simple person and totally dedicated to the welfare of the people. He worked for the upliftment of the weaker sections of the society. With his death, we have lost a seasoned politician, a gentleman and a man who always stood by the poor and down trodden people. I pay my heartiest condolences to his family members and pray to Almighty to give peace to the departed soul.

Concluded.

28.08.2015/1100/TCV/DC/2

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में आते ही यह दुखद समाचार सुनने को मिला। श्री मलांगड़ जी इस माननीय सदन के दो बारे सदस्य रहे और ---

श्रीमती एन0एस0 --- जारी

28.08.2015/1105/NS/DC/1

प्रो. प्रेम कुमार धूमल -----क्रमागत।

श्री मलांगड़ जी इस मान्य सदन के दो बार सदस्य रहे और उप-सभापति और उपाध्यक्ष के तौर पर भी इन्होंने काम किया। श्री राम दास मलांगड़ जी का आज प्रातःकाल निधन हो गया। यह संयोग ही था कि 20 अगस्त 1947 को इनका जन्म हुआ और 20 अगस्त 1999 को वह इस सभा के उपाध्यक्ष चुने गए। उन्होंने अपना जीवन पंचायत के प्रधान के तौर पर राजनीतिक जीवन प्रारम्भ किया। वह सरल और सादा व्यक्तित्व के धनी थे। समाज सेवा में रूचि रखते थे। उनका अचानक निधन हुआ है। शोक संत्पत परिवार के प्रति मैं दल की ओर से संवेदना प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे।

श्री कुलदीप कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह-सुबह जब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में गया तो एक बहुत दुःखद घटना सुनने को मिली कि हमारे जिला से श्री राम दास मलांगड़ जी का स्वर्गवास हो गया है। यह सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी दुर्घटना हुई है जैसा कि बताया गया। वह 1993 में विधानसभा के लिए दो बार चुने गए और 20 अगस्त को वह यहां डिप्टी स्पीकर के तौर पर भी चुने गए । हम 1993 से 1998 तक विधानसभा में इक्टठे रहे हैं। वह बहुत ही मिलनसार और सादा आदमी थे और आज वह 68 साल की उम्र में स्वर्गवास हो गए। संसार में आना-जाना तो सभी को है लेकिन उन्होंने मिलनसारी के तौर पर अपनी छाप छोड़ी है। हम सभी ऊना जिले की कांग्रेस कमेटी की ओर से और ऊना जिले के कार्यकर्ताओं की ओर से, विधायकों

की ओर से उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और उनके परिवार को इस दुःख की घड़ी में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह उनको शक्ति दे और जो दिवंगत आत्मा है उनको भगवान शांति दे।

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, आज जब सुबह हम आपके कार्यालय में उपस्थित थे तो एक दुःखद समाचार मिला कि इस माननीय सदन के दो बार

28.08.2015/1105/NS/DC/2

विधायक और डिप्टी स्पीकर रहे आदरणीय राम दास मलांगड़ जी हृदयघात के कारण प्रभू को प्यारे हुए हैं। उनका स्वर्गवास हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह ऊना जिले के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे और अपने सौम्य स्वभाव के कारण सारे समाज में और सभी राजनीतिक दलों में उनको आदर की दृष्टि से देखा जाता था। बड़े इमानदार और हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देने वाले ऐसे व्यक्ति जो हमारे इस माननीय सदन के सदस्य रहे हैं आज हमारे बीच से चले गए हैं। मैं उनको अपने दल की ओर से , समस्त पार्टी की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति मिले।

समाप्त।

श्री नेगी द्वारा ---------- जारी

28.08.2015/1110/negi/ag/1

श्री वीरेन्द्र कंवरः आदरणीय अध्यक्ष जी, आज सुबह ही दुःखद समाचार मिला कि हमारे क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे , एक बार 1993 में और दूसरी बार 1998 में, श्री राम दास मलांगड़ जी का दुःखद देहान्त हुआ है। मैं अपनी ओर से, क्षेत्र की ओर से उनकी आत्मा को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस दुःख को सहने की शक्ति दें । मैं इसी के साथ उनको श्रद्धाजलि अर्पित करता हूं।

28.08.2015/1110/negi/ag/2

श्री रविन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह ही, जैसे मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने कहा, बहुत दुखदायी समाचार, जब हम आपके चैम्बर में थे तो वही पर आपके प्राईवेट सेक्रेटरी के माध्यम से मिला। बहुत दुःख का विषय है। मेरे साथ उनके बहुत नजदीकी संबंध रहे हैं । 1993 में हम दोनों पहली बार विधान सभा के सदस्य बन कर इस माननीय सदन में चुनकर आए थे। हमारा निवास भी एक जगह था। हम ग्रांड होटल के लिटिन ब्लॉक में इकट्ठे रहते रहे। लगातार 10 साल हमारा इकट्ठे आना और इकट्ठे जाना था। मेरे व मेरे परिवार के साथ उनका बहुत नजदीकी संबंध रहा। आज राम दास मलांगड़ जी हमारे मध्य नहीं रहे । मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में शांति प्रदान करें और उनके परिवार को, जो यह बहुत दुखदायी घटना घटी है, इस दुःख को सहन करने की शक्ति दें, धन्यवाद।

28.08.2015/1110/negi/ag/3

श्री राकेश कालिया: अध्यक्ष महोदय, आज सुबह जब मैं हाऊस को आ रहा था तो रामदास मलांगड़ जी के एक रिस्तेदार मुझे मिले और उन्होंने मुझे बताया कि आज अचानक राम दास मलांगड़ जी की हृदयघात से मृत्यु हो गई है । वह 2 बार लगातार विधान सभा के सदस्य रहे और इस बार वह कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे । मेरा भी उनसे 5-7 साल से बहुत अच्छी तरह से वास्ता रहा । वह बहुत ही सोबर व्यक्ति थे, बहुत मिलनसार व्यक्ति थे । लोग बताते थे कि कोई भी व्यक्ति किसी काम को ले कर जब उनके पास जाता था तो वह बियांड दि पार्टी यथासम्भव उसकी सहायता करने का प्रयास करते थे। वह बड़े मधुर भाषी थे और बहुत ही साधारण व्यक्ति थे । मैं ईश्वर से, मां चिंतपूर्णी से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और मां चिन्तपूर्णी से प्रार्थना करता हूं कि उनके पीछे परिवार के जो लोग रह गये हैं उनको जो यह क्षति हुई है इसको सहने की शक्ति दें।

28.08.2015/1110/negi/ag/4

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बड़े दुःख का समाचार मिला। माननीय मलांगड़ जी जो इस माननीय सदन के दो बार सदस्य व डिप्टी-स्पीकर रहे और आज कल मेरे साथ बोर्ड के डॉयरेक्टर थे । जैसे सबने बताया वह बहुत ही मिलनसार, सादे स्वभाव के व्यक्ति थे। वह पिछले हफ्ते ही मेरे पास आए थे और मुझे ऐसा कभी भी महसूस नही हुआ कि ऐसी स्थिति आएगी कि एक हफ्ते के अन्दर उनका देहान्त होगा और हम शोक प्रस्ताव रखेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसने साधारण जीवन से इस माननीय सदन के डिप्टी स्पीकर तक का सफर तय किया और उस सफर में सबके साथ मिलकर सबको खुश रखने का प्रयास करते रहे। हमारे फूड एण्ड सिविल सप्लाई बोर्ड में उनकी बड़ी भूमिका रही और उनका बड़ा योगदान रहा। गाहे-बगाहे वह मुझे भी कई चीज़ों पर आगाह करते थे । उनकी जो यह मृत्यु से क्षति हुई है उसको तो कोई नहीं भर सकता लेकिन हम सारे उनके साथ हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले, स्वर्ग में वास मिले और हम सब हिमाचल-वासी इस दुःख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हैं, धन्यवाद।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी.....

28.08.2015/1115/यूके/एजी/1

अध्यक्षः स्वर्गीय श्री रामदास मलांगड़, पूर्व सदस्य एवं उपाध्यक्ष के निधन पर जो उल्लेख सदन में प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं तथा शोक-संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस माननीय सदन की भावनाओं को शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचा दिया जाएगा । अब मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दिवंगत आत्मा को श्रद्धा-सुमन अर्पित करने के लिए अपने-अपने स्थान पर एक मिनट के लिए मौन हेतु खड़े हो जाएं ।

(सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर मौन के लिए खड़े हुए ।)

28.08.2015/1115/यूके/एजी/2

प्रश्न काल आरम्भ

प्रश्न संख्या- 1819

श्री रणधीर शर्माः सर, वैसे तो यह पिछले सत्र का प्रश्न है कि कितने विदेशी प्रवास हमारे मंत्रियों, मुख्य संसदीय सचिवों बोर्डों/ निगमों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और ओ0एस0डी0 के हुए । लेकिन 5 महीने में भी यह सूचना एकत्रित नहीं हुई है । तो क्या मुख्य मंत्री जी आश्वासन देंगे कि अगले शीतकालीन सत्र तक यह पूरी सूचना विधान सभा में रखी जाएगी?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस सूचना को कई सोर्सिस से एकत्रित किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि सूचना को एकत्रित करने में देरी हुरी हुई है । अगले सैशन के अन्दर यह सूचना अवश्य रूप से सदन को दे दी जाएगी ।

28.08.2015/1115/यूके/एजी/3

प्रश्न संख्याः 2111

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय ,यह बड़ा छोटा सा प्रश्न है और इसमें कोई बड़े लम्बे समय की सूचना भी नहीं मांगी गयी है । केवल मात्र गत दो वर्षों में प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न मामलों की हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी हेतु प्रदेश के बाहर के कौन-कौन से अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया है, ब्योरा नाम, पते सहित दिया जाए । यह सूचना कोई बड़ी लम्बी तो

होगी नहीं । इसमें अभी भी यही कहा जा रहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है । तो यह सूचना कब तक प्राप्त हो जाएगी ?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अगले सैशन के आरम्भ में ही यह सूचना एकत्रित करके सदन में रख दी जाएगी ।

28.08.2015/1115/यूके/एजी/4

प्रश्न संख्या- 2388

श्री पवन काजलः माननीय अध्यक्ष जी, जब पिछले विधान सभा सत्र में मैने माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न किया था तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि कांगड़ा की सीवरेज

एस0एल0एस0 द्वारा जारी-----

28.08.2015/1120/sls-as-1

प्रश्न संख्या : 2388...जारी

श्री पवन काजल...जारी

कि कांगड़ा का जो सीवरेज सिस्टम हैं, इसमें 3 जोन 1, 2 और 3 करके हैं। मैंने इनसे कहा था जोन-1 का कार्य लगभग 95% पूरा हो चुका है, इससे जनता ने कनैक्शन भी ले लिए हैं। जोन-3 से भी कनैक्शन दिए जा रहे हैं। जोन-2 में दर्शाया गया है कि इसका 69% काम पूरा हो चुका है। जब मैंने पिछली बार प्रश्न किया था तो आपने इसकी जांच के आदेश दिए थे। मेरी जानकारी के अनुसार यहां जो 1500 या 1800मीटर लंबी पाईप बिछी है, इसमें जो चैंबर बने हैं वह कहीं पाईप के नीचे तो कहीं ऊपर बन गए हैं। इसके लिए जांच की आवश्यकता थी। विभाग का यह उत्तर आया था कि यह सीवरेज कार्य 13 वर्षों से चला हुआ है और इसपर वर्ष 2015-16 तक12 . 33करोड़ रुपया ख़र्च होना है। जोन-2 की जो 1800 मीटर पाईप

है इसमें कनैक्टिविटी के लिए विभाग को1 . 52करोड़ रुपये की आवश्यकता है। जब मैंने इनसे पूछा था कि आप कब तक इसको in all respect पूरा कर देंगे, इन्होंने कहा था कि अगर 1. 52करोड़ रुपये का प्रावधान होगा तो इसको 31 दिसम्बर, 2016 तक पूरा कर दिया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि क्या इस राशि का प्रावधान करेंगे और जो पिछले सत्र में आपने इस कार्य की जांच के आदेश दिए थे, वह जांच करेंगे?

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में भी माननीय विधायक ने यह प्रश्न किया था। आपके प्रश्न के उपरांत, जो जोन-2 है, जिसके बारे में आपने कहा था कि न सही ढंग से पाईप ले की गई है और न चैंबर बने हैं ,इसकी जांच चल रही है। उसकी रिपोर्ट विभाग को अभी अपेक्षित है। आपने जो दूसरी बात की थी , इस कार्य को पूरा करने के लिए 1.52 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता थी। आप ही के अनुरोध पर हाल ही में विभाग ने यह राशि जारी कर दी है।

समाप्त

28.08.2015/1120/sls-as-2

प्रश्न संख्या : 2389

श्री गोविन्द राम शर्मा : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में जो डैपुटेशन किए गए हैं ,उसमें कई डैपुटेशन ऐसे भी हुए कि जो लोग कंट्रैक्ट पर भी हैं ऐसे लोगों को लाहौल-स्पिति से रोहड़ू और कांगड़ा से शिमला डैपुटेशन पर भेज दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी, आपको पूरी पॉवर है, आप कर सकते हैं लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कॉडर की पोस्टें होती हैं उनको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करने के लिए भी उनका रैगुलर स्टे कम-से-कम 13 वर्ष होना चाहिए और उसमें भी केवल एक प्रतिशत् लोग ही ट्रांसफर किए जाते हैं। मेरा कहना केवल इतना है कि मैंने तो केवल शिक्षा विभाग के आंकड़े मांगे थे और आपने भी शिक्षा विभाग के ही दिए। लेकिन मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र के अन्य विभागों के भी बहुत से ऐसे केसिज है जिनमें

डैपुटेशन हुए हैं। उसमें मुख्य मंत्री जी यह होता है कि जब आप डैपुटेशन कर देंगे तो जो व्यक्ति आपने काजा से रोहड़ू भेजा उसकी जगह काजा में आप दूसरा व्यक्ति पोस्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही आपने जो व्यक्ति कांगड़ा से शिमला भेजा, उसकी जो कांगड़ा में पोस्ट खाली हुई उसकी जगह आप दूसरा व्यक्ति पोस्ट नहीं कर सकते ,वह खाली रह जाएगी। इससे अच्छा है कि कर्मचारी ट्रांसफर ही हो जाए। डैपुटेशन की प्रक्रिया से जो पद पीछे खाली हो जाता है उसको भरने में दिक्कत आ रही है। मैंने 'ख' भाग में आपसे निवेदन किया था कि क्या सरकार इन प्रतिनियुक्तियों को रद्द करने का विचार रखती है; यदि हां तो कब तक?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह डैपुटेशन मेरी अनुमति से नहीं हुए हैं, मुझे इनकी कोई जानकारी नहीं है। ..

जारी .. श्री गर्ग द्वारा

28/08/2015/1125/RG/AS/1

प्रश्न सं. 2389---क्रमागत

मुख्य मंत्री : जो ये डेपुटेशन हुए हैं ये सरकार की अनुमति से नहीं हुए हैं और मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। जब आज यह प्रश्न आया, तो हमारे जो प्रधान सचिव(शिक्षा) हैं उनको मैंने कहा है कि **फौरन जितने भी डेपुटेशन हुए हैं, उनको निरस्त किया जाए। इन्होंने एक जगह का प्रश्न पूछा है, लेकिन सारे प्रदेश में इस प्रकार के जो डेपुटेशन हुए हैं उनको निरस्त किया जाए।**

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदक्ष, कल भी इस विषय पर यहां बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी कि शिक्षा के गिरते हुए स्तर को कैसे इंप्रूव किया जाए और उसमें शॉर्टेज ऑफ टीचर्स की ही ज्यादा चर्चा आई थी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि केवल स्कूल में,आपने रीजन भी दिया है कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में कर दिया ,लेकिन यदि कोई नया विद्यालय खुला है, तो उसमें आपने डेपुटेशन पर भेजा है, लेकिन क्या यह आपके ध्यान में है कि 8 से 10 टीचर्स कई जिलों में उप निदेशक शिक्षा के कार्यालय में डेपुटेशन पर ऐडजस्ट किए गए हैं और उसके कारण स्कूल खाली पड़े हैं और उनको वहां कोई काम नहीं है। कल आपने घोषणा की कि इन्सपैक्शन के लिए इन्स्पैक्टर ऑफ

स्कूल्स लगाएंगे। यह बहुत अच्छा सुझाव है। वैसे तो जब उप निदेशक बनाए गए थे तब भी उद्देश्य यही था कि इन्सपैक्शन का काम बढ़े, लेकिन वह परपज सर्व नहीं हुआ, वे ट्रांसफर में ही रहते हैं। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी आश्वासन देंगे कि जो लोग अपने स्कूल को छोड़कर अपनी सुविधा के लिए जिला मुख्यालय पर उप निदेशक कार्यालय में ऐडजस्ट हुए हैं और काम कुछ नहीं है ,उनको तुरन्त वापस भेजा जाएगा जहां-जहां वे लगे हैं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं और आज मेरे संज्ञान में यह बात आई है। मैंने तुरन्त प्रश्नकाल से पहले ही जो प्रधान सचिव(शिक्षा) हैं उनको बुलाकर ये आदेश दिए हैं ,यह तो शिमला जिले का प्रश्न था ,लेकिन मैंने कहा कि हर जिले में जो लोग बिना सरकार की अनुमति से इस प्रकार से **डेपुटेशन पर लगाए गए हैं, उन सबके आदेश निरस्त किए जाएं और जहां से आए हैं वहां वापस जाएं। आपने इन्सपैक्टोरेट की बात की है ,तो सरकार ने सैद्धान्तकि रूप से यह फैसला किया है कि हर जिले में एक इन्स्पैक्टर और एक डिप्टी इन्स्पैक्टर होगा ,लेकिन जो बड़े जिले हैं उनमें एक इन्स्पैक्टर और दो-तीन डिप्टी इन्सपैक्टर होंगे जिले के साईज को और वहां कितने स्कूल हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए**

28/08/2015/1125/RG/AS/2

और वे बिल्कुल अलग से होंगे, लेकिन they can check any school any time और इसी इन्सपैक्टोरेट को हम स्ट्रैन्थन करेंगे।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के सुझाव का या इनके निर्णय का पहले ही स्वागत कर चुका हूं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जो डिप्टी डायरैक्टर है वह क्या करता है, वह कितने स्कूल इन्स्पैक्ट करता है, मल्टीप्लाई करना और इम्प्लॉयज की आज की और प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें और पद सृजित करके और लोगों को लगाने की अपेक्षा क्या आप उनकी डियुटी स्पेसीफाई करेंगे कि आप महीने में इतने स्कूल इन्स्पैक्ट करेंगे ही?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो जिलों में हमारे उप निदेशक हैं वे प्रशासनिक कार्यों में ही बहुत बिजी रहते हैं ,पे-बिल्ज और अन्य कार्यों में ही वे लगे रहते हैं। उनके पास समय ही नहीं होता है कि वे बाहर जाकर इन्सपैक्शन करें। पहले

बिट्रिशकाल में इन्स्पैक्टोरेट अलग होता था। उसको हम दुबारा रिवाइव करना चाहते हैं ,उनका काम ही इन्सपैक्शन करना होगा। and they **अंग्रेजी**

श्री ईश्वर दास धीमान : अध्यक्ष महोदय, ये जो जे.बी.टी. एवं सी.एण्ड वी. का डिस्ट्रिक्ट कॉडर है क्या यह प्रतिनियुक्ति दूसरे जिले में हुई हैं और अगर ये प्रतिनियुक्तियां हुई हैं ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ कि एक दूसरे जिले से दूसरे जिले को भेजकर कॉडर को ही बदल दिया जाए और जिन स्कूलों से ये प्रतिनियुक्तियां हुई हैं क्या उनमें स्टाफ पूरा है? क्या वहां अतिरिक्त अध्यापक काम कर रहे थे या वहां पर काम करते हुए लोगों को ही उठाकर ही दूसरी जगहों पर भेजा गया?------**जारी**

एम.एस. द्वारा जारी

28/08/2015/1130/MS/DC/1

प्रश्न संख्याः 2389 क्रमागत---श्री ईश्वर धीमान जारी----

और जिन स्कूलों से ये प्रतिनियुक्तियां हुई हैं, क्या उन स्कूलों में स्टाफ पूरा है? क्या वहां वे अतिरिक्त काम कर रहे थे या वहां काम करते हुए लोगों को ही उठाकर के दूसरी जगहों पर भेजा गया? क्या इस तरह से एक जगह को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरी जगह नुकसान नहीं होता? इसलिए इसको तुरन्त बन्द और रद्द किया जाए। यह आश्वासन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहता हूं।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसका जवाब पहले ही दे दिया है।

मुख्य मंत्रीः मैंने पहले ही कह दिया है कि ये प्रतिनियुक्तियां निरस्त की जाएंगी। अगर जहां से कोई प्रतिनियुक्ति पर गया था ,उसकी जगह कोई दूसरा स्टाफ आ गया तो इनको किसी दूसरी जगह फील्ड में भेजा जाएगा।

28/08/2015/1130/MS/DC/2

प्रश्न संख्या: 2390

श्रीमती आशा कुमारी: अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न इसके साथ क्लब हो गया है। मेरा प्रश्न कॉन्स्टीच्यूएंसी स्पेसिफिक था। इस प्रश्न से उसका कोई लेना-देना ही नहीं था। मैंने तो प्रश्न यह किया था कि माननीय मंत्री महोदय ने डल्हौजी आकर एक वॉल्वो बस चलाने का आश्वासन दिया था। मेरा तो स्पेसिफिक प्रश्न था कि वह डल्हौजी से वॉल्वों बस कब तक चला दी जाएगी?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री: अध्यक्ष जी, परिचालकों की कमी है जैसे ही परिचालक आ जाएंगे बस चला दी जाएगी।

श्रीमती आशा कुमारी: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि परिचालकों की कमी है। अभी इन्होंने कांगड़ा के नगरोटा से चार वॉल्वो बसें चलाईं जो इन्होंने बाद में अनाऊंस की है। डल्हौजी वाली बस को अनाऊंस किए हुए तो एक साल से अधिक का समय हो गया है। तो क्या वहां वाले परिचालकों को भेजकर ये वहां बस चलाएंगे?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री: अध्यक्ष महोदय, यह नगरोटा को बदनाम करने की साजिश है। वास्तव में वे हमीरपुर की बसें हैं। जो पुरानी बसें थीं वे नई बसों से रिप्लेस हुई हैं। परन्तु मैंने कहा है कि जल्दी-से-जल्दी हम कुछ बसें वैट लीजिंग पर ले रहे हैं। We will definitely consider Dalhousie and it is on top priority. अध्यक्ष जी, अगले 100 दिन के अंदर डल्हौजी वाली बस चालू कर देंगे।

अध्यक्ष: मंत्री जी टॉप प्रायोरिटी कब से शुरू हो रही है?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री: सर, 100 दिन में हो जाएगी।

28/08/2015/1130/MS/DC/3

श्री कुलदीप कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि क्या सरकार चिन्तपूर्णी से दिल्ली और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के लिए वॉल्वो बसें चलाने का विचार रखती है? लेकिन मंत्री जी बड़े तेज-तर्रार मंत्री हैं। इन्होंने जवाब "हां" में दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये बसें कब तक चला दी जाएंगी और क्या ये भी टॉप प्रायोरिटी हैं या नहीं? क्योंकि यहां जवाब आ रहा है कि जो वॉल्वो बसें हैं वे सारी लाभ में हैं। चिन्तपूर्णी एक धार्मिक स्थल है और वहां पर बहुत श्रद्धालु आते हैं। इसलिए बसें काफी लाभ में होंगी। मैं जानना चाहता हूं कि कब तक यह टॉप प्रायोरिटी हमारी भी होगी?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री: अध्यक्ष जी, शीघ्र ही करेंगे। जो हमने 100दिन के अंदर प्लान किया है, उसमें चिन्तपूर्णी-दिल्ली भी है। इसको भी 100 दिन के अंदर चलाएंगे। दूसरी पौंटा-दिल्ली, चामुण्डा-दिल्ली, डल्हौजी-दिल्ली और जोगेन्द्र-नगर दिल्ली; ये पांच बसें हम 100 दिन के अंदर चलाने का प्रावधान कर रहे हैं। टैण्डर किए हुए हैं और उसकी प्रक्रिया जारी है। जैसे ही यह हो जाएगा, इनको अति शीघ्र चलाएंगे। चिन्तपूर्णी के लिए वैसे भी हमारी महत्वपूर्ण योजना है कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं ,उनको हम जैसे पौंटा-साहब चामुण्डा जी को चिन्तपूर्णी से जोड़ रहे हैं और जहां से ऑलरैडी जैसे धर्मशाला से बसें जाती हैं, वे वहां से क्रॉस होती हैं। अदरवाइज जहां-जहां नहीं हैं उनको जोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

श्री संजय रतन: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब इस सरकार के बनने के बाद ये परिवहन मंत्री बनकर पहली बार जिला कांगड़ा में आए थे और ज्वालामुखी में पहुंचे थे तो इन्होंने माता ज्वाला जी के दरबार में कहा था कि,

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

28.08.2015/1135/जेएस/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 2390-----**जारी**-------

श्री संजय रतनः-------**जारी**------

जब ये इस बार सरकार बनने के बाद परिवहन मंत्री बनकर पहली बार जिला कांगड़ा में आए थे और ज्वालामुखी पहुंचे थे तो इन्होंने माता ज्वालामुखी जी के दरबार में कहा था कि मैं ज्वालामुखी से दिल्ली के लिए वॉल्वो बस चलाऊंगा, परन्तु वह बस आज तक नहीं चली। इसके बाद इन्होंने हिमाचल प्रदेश में कितनी बसें चला दी हैं तो ज्वाला जी के साथ आप अन्याय क्यों कर रहे हैं? ज्वाला जी कितना धार्मिक स्थल है। पूरे विश्व से वहां पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं परन्तु पता नहीं परिवहन मंत्री जी ज्वाला जी के साथ क्यों भेद-भाव कर रहे हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो इनका 100 दिन का टारगेट है ,क्या उसमें ज्वाला जी शामिल है या उससे भी बाहर है?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, भेद-भाव की बात नहीं है। यह जो साढ़े 11 करोड़ रूपये का जो प्रॉफिट है लोगों की बसें है उनसे ही लेते हैं और उन्हीं के लिए ही चलाते हैं। इसमें इन्टर स्टेट रूट्स की प्राब्लम आती है। इन्टर स्टेट के रूट जो हैं, अगर ये कहेंगें तो इनकी जब एक बस चलेगी तो दूसरी बस बन्द हो जाएगी क्योंकि इन्टर स्टेट रूट दूसरी स्टेट्स के साथ तय करके लेने पड़ते हैं। दूसरी जो बस जाती है उतने किलोमीटर मिलते हैं। इस डिपार्टमैंट में टेक्निकल प्राब्लम है मगर 180 दिन के एजैंडे में इनकी बस पक्की है। क्योंकि धार्मिक स्थलों को हम जोड़ रहे हैं तो ज्वालामुखी प्रायोरिटी पर है। अध्यक्ष जी, 100 दिन में ये 5 रूट हम पहले चालू करेंगे। अध्यक्ष जी, इन 5 रूटों के लिए मुझे 10 बसें चाहिए, एक आपने कह दिया तो आप अध्यक्ष हैं, एक बस वह चाहिए । इस तरह से मुझे 12 बसें चाहिए। 12 बसों में से एक बस यहां शिमला से भी चलनी है। एक हमने ऑलरेडी अनाऊंस की हुई है धर्मशाला से श्रीनगर के लिए । जैसे-जैसे बसें आती जाएगी your demand is always is on priority &

in agenda. Please don't say that I am discriminating. मेरी पूरी आस्था है ज्वाला जी माता में।

28.08.2015/1135/जेएस/डीसी/2

अध्यक्षः इस माननीय सदन में ऐसा लग रहा है कि आप वायदा सबसे करते हैं लेकिन बसें चलाते आप नगरोटा से ही है। सारे मैम्बर्ज कह रहे हैं कि आप बसें नगरोटा से ही चलाते हैं।

श्री किरनेश जंगः अध्यक्ष महोदय, पांवटा एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है । मैं, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पांवटा से शिमला के लिए कोई वॉल्वो बस चलाने का प्रावधान है या नहीं?

खाद्य, नागरिक एवं आपूर्ति उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह अभी तक इन्टर स्टेट में है मगर हम एयर कंडिशन्ड डीलक्स बसें with in State चलाने का प्रयास कर रहे हैं और नेक्स्ट स्टैप वही है कि with in State हम एयर कंडिशन्ड डीलक्स बसें ही चलाएंगे और आने वाले समय में हमारी जो महत्वकांक्षी योजना है ,50 वॉल्वो स्टेट और स्टेट के बाहर चलाएंगे। पहले तो दो ही वॉल्वो चलाई थी। उस समय भी इस सदन में मेरा क्रिटिसिज्म हुआ था और अब 30 वॉल्वो हो गई है। अब हमने 50 तक टारगेट रखा है कृपा करके इसको होने दो। ए.सी. डीलक्स पांवटा से दिल्ली को दे रखी है। इसको भी प्रायोरिटी में रखा है इसको भी कर देते हैं। Lets do it stepwise.

28.08.2015/1135/जेएस/डीसी/3

प्रश्न संख्याः 2391

श्रीमती सरवीन चौधरीः अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि जो मोर्च-गड़घूं सड़क है यह मेरी एम.एल.ए. प्रायोरिटी वर्ष 2009-10 की है। यह दिनांक 1.1.2010 से वन विभाग के डी.एफ.ओ. को इसकी प्रोपोज़ल भेज दी गई थी । इसका पहला प्रयास तब हुआ था। वर्ष 2012 में

आर.डी.एफ. 18 के तहत 3 करोड़ 74 लाख रूपया इसमें सेंक्शन भी हो गया था। लेकिन इतना ज्यादा प्रयास करने के बाद इस सड़क का दिनांक 21.1.2014 को फोरैस्ट केस रिजैक्ट हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या कारण रहें ?जहां तक मेरा ध्यान है जो फोरैस्ट का सर्वे हमने करवाया था वह 1.1.2010 से चला था। जब केन्द्र से लोग इस्पैक्शन के लिए आए तो तो किसी दूसरे रूट पर उनको ले जाया गया। क्या डेलिब्रेटली इसको रिजैक्ट करने के लिए इस रूट को चेंज किया गया? क्योंकि वन विभाग में कुछ लोग हैं जो कि सरकार ने जोड़े हैं क्या उनके प्रयास से यह रिजैक्ट हुआ। दोबारा से फिर मैंने 20.5.2015 को जब मैंने बजट सैशन में यह प्रश्न उठाया था तब इसको मूव कर दिया गया था तो यह इसी प्रोसैस में न रहें क्योंकि यह बहुत पुरानी सड़क है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-------

28-08-2015/1140/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 2391 क्रमागत

श्रीमती सरवीन चौधरी क्रमागतः

क्या वन विभाग सीरियसली इसकी फॉरैस्ट क्लीयरैंस के ऊपर काम करेगा? इसके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया। इसी प्रश्न में मैंने दो सड़कें और रखी हैं। एक ललेटा से बनु महादेव और दूसरी ठम्बा-ठेहड़-मनोह। इन सड़कों की मेरी 2012-13 की एम0एल0ए0 प्रायोरिटी है और इसमें वन विभाग ने कोई काम नहीं किया है और आज जब मैंने एक्सियन से पता किया तो उन्होंने बोला कि डी0सी0 को भेज दिया गया है, एस0डी0एम0 को भेज दिया गया है। यह डी0पी0आर0 के लिए भेजा गया है। मैंने पूछा कि कितने दिन पहले भेजा तो बोला कि लगभग 10 दिन पहले भेजा है। इसका मतलब यह हुआ कि जब मैंने प्रश्न दिया तो 10 दिनों के बीच में हलचल हुई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या फॉरैस्ट विभाग इन फॉरैस्ट क्लीयरैंसिज़ के लिए सीरियस है या नहीं?

डी0पी0आरज़0 बनाने के लिए सीरियस है या नहीं? क्या वे इस पर ऐक्शन लेंगे और तुरन्त आगे कार्रवाई करेंगे?

अध्यक्षः यह प्रश्न तो कल भी डिस्कस हुआ है।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि माननीय सदस्या की जो ये तीन सड़कें हैं जिनका इन्होंने ज़िक्र किया है, कारण चाहे कुछ भी रहा हो इनकी फॉरैस्ट क्लीयरैंस अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जब तक फॉरैस्ट क्लीयरैंस नहीं आयेगी तब तक उनका निर्माण करना सम्भव नहीं होगा। इस वक्त जो रिवाइज्ड प्रॅपोज़ल हैं वे बना दी गई हैं और डिप्टी कमिश्नर, कांगड़ा को भेज दी गई हैं तथा उनके द्वारा ये आगे फॉरैस्ट क्लीयरैंस के लिए भेजे जायेंगे। I appreciate your concern. I am sorry that there has been delay in this case. I will look into it personally to see all these formalities are cleared as soon as possible so that the work on these roads road starts.

प्रश्न समाप्त

28-08-2015/1140/SS-AG/2

प्रश्न संख्याः 2392

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, इस सूचना के मुताबिक प्रदेश में कुल 232 ऐसे औद्योगिक प्लाटस हैं जिन पर निर्धारित समयावधि में उद्योग नहीं लगे हैं और उनमें से मंत्री जी ने बताया कि 27 औद्योगिक प्लाटों में अन्य गतिविधियां चल रही हैं जबकि किसी भी औद्योगिक प्लाट को रिहायशी मकान में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो 205 औद्योगिक प्लाट बचे हैं इनका वर्तमान में क्या स्टेट्स है? क्या इनको रद्द कर दिया गया है? क्या विभाग ने इनको वापिस ले लिया है? जो इन्होंने कहा है कि 27 औद्योगिक प्लाटों में अन्य गतिविधियां चल रही हैं, मैंने विस्तृत ब्योरा मांगा था कि वह सूची भी आ जाए कि

उनके नाम क्या हैं। मंत्री जी ने वह सूची तो नहीं दी परन्तु क्या मंत्री जी वह सूची उपलब्ध करवायेंगे?

दूसरा, इन 27 प्लाटों में जहां उद्योग लगाने के बजाय अन्य गतिविधियां चल रही हैं उन पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई या क्या कार्रवाई प्रस्तावित है?

तीसरा, इन्होंने कहा कि किसी भी औद्योगिक प्लाट को रिहायशी मकान में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मुझे लगता है कि यह सूचना अधूरी है। बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियल प्लाट प्रदेश में हैं जिन्हें रिहायशी मकान के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए क्या मंत्री जी इनका फिजीकल वैरिफिकेशन या सपॉट इंस्पैक्शन करवायेंगे ताकि वास्तविक स्थिति ध्यान में आये? ऐसे तो कोई बतायेगा नहीं कि मैं औद्योगिक प्लाट को रिहायशी मकान के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या उसकी इंस्पैक्शन करवा कर उसकी वास्तविकता का पता किया जायेगा? जो औद्योगिक क्षेत्रशः इनसे सूचना मांगी थी उसमें इन्होंने कहा है कि 15 परवाणु में, 9 बद्दी में और 3 काला अम्ब में औद्योगिक प्लाटस पर अन्य गतिविधियां चल रही हैं। मैं इनसे यह भी जानना चाहता हूं कि जो 26 औद्योगिक क्षेत्रों की सूची दी है क्या इनके अलावा भी ज़िला कांगड़ा में ज्वाली नाम का औद्योगिक क्षेत्र है जोकि इस सूची में नहीं है और वहां की क्या वास्तविक स्थिति है? कुल कितने प्लाटस हैं

28-08-2015/1140/SS-AG/3

उनमें से कितनों में उद्योग चल रहे हैं और कितनों में अन्य गतिविधियां चल रही हैं?

जारी श्रीमती के0एस0

28.08.2015/1145/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 2392 जारी----

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसके जवाब में काफी विस्तृत सूचना हमने इनको उपलब्ध करवाई है। इनका यह कहना कि सूचना सही नहीं है, मैं इनको बताना चाहूंगा कि इस पर डिपार्टमैंट ने काफी वर्क किया है सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ की हमने आपको डिटेल दी है और जहां तक इंडस्ट्रियल एरिया का सवाल है, दो साल के लिए हम पहले प्लॉट देते हैं और उसका मैक्सिमम एक्सटैंशन फिर पांच साल के लिए होता है जिसमें दो साल वह भी शामिल किए जाते हैं। तीन साल उसको इंडस्ट्री लगाने के लिए और दिए जाते हैं। जहां तक इन्होंने कहा कि इन इंडस्ट्रीज़ में कितनों को नोटिस दिए और कितने हमने रद्द किए हैं तो जून 2015 तक कुल आवंटित प्लॉट 2992 हैं जो उद्योग विभाग ने आज तक अलॉट किए हैं, 2374 उद्योग लगे हैं जिन पर इंडस्ट्री लग चुकी है। 55 मामले न्यायालय में किसी न किसी कारण से लम्बित है। 176 प्लॉट हमने रद्द कर दिए हैं और जिन पर उद्योग स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं वह 197 हैं। खाली प्लॉट हमारे पास 50 है और जिनको अब नोटिस दिए गए हैं, 86 हैं। जहां तक ज्वाली इंडस्ट्रियल एरिया का सवाल है, वहां वॉयलेशन कि हमें कोई सूचना नहीं है । कोई स्पैसिफिक कम्पलेंट आपके पास यदि हैं, जैसे आपने कहा कि लोगों ने रिहायशी मकान बनाए हुए हैं,सरकारी तौर पर तो ऐसी सूचना नहीं है लेकिन ऐसी धारणाएं कई दफा सुनने को मिल रही है कि लोगों ने कारखाना लगाया है और उसमें उन्होंने या अपना मैनेजर ठहरा दिया है या अपने स्टाफ के लोग ठहरा दिए हैं तो उसमें हम थोड़ा लीनियंट व्यू ले रहे हैं ताकि कारखाना चलता रहे । कोई स्पैसिफिक कम्पलेंट आपके पास हैं तो आप हमें बताएं लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से हाऊस को बताना चाहता हूं कि ऐसे प्लॉट जिन्होंने पांच साल पूरे कर लिए हैं और कोई काम नहीं हुआ है, उनको तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।

अध्यक्षः माननीय सदस्य स्पैसिफिक प्रश्न पूछिए।

28.08.2015/1145/केएस/एजी/2

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो स्पैसिफिक ही पूछा था पर सूचना कोई और दे दी है। मैंने कहा था कि ऐसी कितनी शिकायतें हैं कि रिहायशी मकान में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को यूज़ किया जाता है इन्होंने कहा शून्य। मैंने पूछा था कि क्या ये स्पॉट इन्स्पैक्शन करवाएंगें किन्तु उस सम्बन्ध में इन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। दूसरा जो इन्होंने 197 के बारे में कहा कि प्रोसैस में हैं तो क्या ये एक्सटैंशन के बाद प्रोसैस में हैं या इनके अभी पाच साल पूरे नहीं हुए? इसकी भी जानकारी दें और दूसरा इन्होंने ज्वाली के बारे में कहा कि ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो ज्वाली को इस लिस्ट से बाहर क्यों रखा गया? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ज्वाली औद्योगिक क्षेत्र की कोई शिकायत प्रिंसिपल सैक्रेटरी, उद्योग या डायरैक्टर, उद्योग के पास पहुंची थी कि वहां पर एक प्लॉट नं0-2 किसी राजनीतिज्ञ के नाम है और पांच साल से ज्यादा हो गए हैं और वहां पर उद्योग लगने की बजाय अन्य गतिविधियां चल रही हैं, किराये पर दिया गया है? क्या यह शिकायत विभाग के पास पहुंची थी? अगर पहुंची थी, तो विभाग ने क्या कार्रवाई की? विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाएं।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं तो समझ रहा था कि ये ग्वालथाई के बारे में चर्चा करेंगें लेकिन ये आ गए ज्वाली की तरफ को तो मैं इनको आश्वासन देना चाहूंगा कि जिस प्लॉट की आप बात कर रहे हैं, उसकी पड़ताल करवाकर मैं आपको रिपोर्ट दूंगा।

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, इस शिकायत को आए कम से कम एक साल हो गया है ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि आपको पता करके बता दूंगा।

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष जी, ये बताएं तो सही कि 6 महीने में कुछ तो जांच हुई होगी। शिकायत आई या नहीं आई, क्या जांच हुई?

28.08.2015/1145/केएस/एजी/3

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे तो इन्होंने अभी एक मिनट पहले बताया है । अगर विभाग के पास कोई शिकायत आई होगी तो मैं उसका पता करवा करके आपको बता दूंगा । मैंने आपको हाऊस के माध्यम से आश्वासन दिया है ,आपको मैं यह कह रहा हूं कि इसी सत्र के दौरान जो कि 31 तारीख को समाप्त हो रहा है, उससे पहले आपको बता दूंगा।

अध्यक्ष श्रीमती अ0व0 द्वारा---

28.8.2015/1150/av/as/1

प्रश्न संख्या :2392 ---------- क्रमागत

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मंत्री जी ने आपको आश्वासन दे दिया है कि इसी सत्र के समाप्त होने से पहले आपको सूचना दे देंगे।

श्री रणधीर शर्मा : यह प्रश्न मैंने अभी नहीं पूछा है, पहले पूछा हुआ है। आपने जानबूझकर सच्चाई को छुपाकर ज्वाली को बाहर रखा है तथा उसकी सही जानकारी नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष : जब मंत्री जी ने कह दिया है कि आपको सूचना मिल जायेगी तो आपको कैसे पता चला कि इन्होंने जानबूझकर किया है?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बात वहां पर हो सकती है मगर मेरा ज्वाली इण्डस्ट्रियल एरिया से कुछ लेना-देना नहीं है। मैंने आपको कह दिया है कि आज 28 तारीख है और मैं 31 तारीख से पहले-पहले यानि इस सत्र के समाप्त होने से पहले आपको यह सूचना दे दूंगा। आपने यह प्रश्न अभी रेज़ किया है और इस सत्र का अभी एक दिन शेष रहता है। आपको इस बारे में 31 अगस्त से पहले बता देंगे।

श्री अजय महाजन : अध्यक्ष महोदय, नंगलान इण्डस्ट्रियल एरिया नूरपुर विधान सभा क्षेत्र के तहत पड़ता है। वहां एक इण्डस्ट्रियल हाऊस है जिसमें 35 प्लॉट हैं।

इसी मान्य सदन के अंदर दो-तीन सत्र पहले मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि या तो वह फैक्टरी लगे और अगर नहीं लगती है तो उसको कैंसिल किया जायेगा ताकि वहां पर और उद्योग लग सके। क्या माननीय मंत्री जी इसको कैंसिल करने का आश्वासन देंगे या वहां पर वह युनिट लग जायेगा?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में कहा है कि पांच साल से जिन्होंने प्लॉट ले रखे हैं और वहां बिल्कुल काम नहीं किया है तो उनको रद्द कर दिया जायेगा। उस परिधि के अंदर अगर यह इण्डस्ट्री भी आती होगी तो उसको रद्द कर दिया जायेगा। वैसे मैं खुद इस इण्डस्ट्रियल एरिया का विजिट करके आया

28.8.2015/1150/av/as/2

हूं। एक व्यक्ति विशेष को 35 प्लॉट्स कैसे मिल गये, यह भी एक जांच का विषय है।

समाप्त

28.8.2015/1150/av/as/3

प्रश्न संख्या : 2393

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो बाकी विधान सभा क्षेत्रों के मुकाबले डिफ्रैंस है; आप बहुत न्यायप्रिय है। मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि यह डिफ्रैंस पूरा कर लिया जायेगा? मेरे विधान सभा क्षेत्र में ज्यादा बरसात होने के कारण सड़कों की हालत ठीक नहीं है। कहीं पर 8-9 किलोमीटर सड़क बन चुकी है, कहीं पर 5 किलोमीटर बन चुकी है। मगर गगरेट में कम बनी है इसलिए मैं आपसे वहां के लिए आश्वासन चाहता हूं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा था मैंने उसके बारे में उत्तर दे दिया है। उसके अतिरिक्त since 10.4.2015, 19 new roads

have been constructed in Una district. उसके बाद 19 और सड़कें बनाई गई है जिसमें से हरोली में 6 सड़कें बनाई गई है जिसकी लैंथ 4.5 किलोमीटर है , ऊना में 1 सड़क बनाई गई है और उसकी लैंथ 0.300 मीटर है। चिन्तपूर्णि में 4 सड़कें हैं जिसकी लैंथ 8.875 किलोमीटर है, गगरेट में 3 सड़कें हैं जिसकी लैंथ 1.900 किलोमीटर और कुटलैहड़ में 5 सड़कें हैं जिसकी लैंथ 5.755 किलोमीटर है। ये कुल 19 सड़कें हैं और इनकी टोटल लैंथ 21.330 किलोमीटर है। During the current year periodic renewal भी हो रहा है। Target of Una district is 119.00 km जिसमें से अब तक 98. 160किलोमीटर लैंथ का टारगेट अचीव हुआ है ----------

श्री टी सी द्वारा जारी

28.08.2015/1155/TCV/AS/1

प्रश्न संख्याः ----2393 क्रमागत

मुख्य मंत्री --- क्रमागत।

इसमें अब तक 98.160 किलोमीटर का काम हो चुका है। यदि आप साल का ब्यौरा लेगें तो सभी में बराबर काम हुआ है और जो बरसात से नुकसान हुआ है, उसके लिए भी जोर-शोर से काम किया जाएगा। बरसात से हुए नुकसान की पूर्ति के लिए अलग से फण्ड पी0डब्ल्यू0डी0 को दिया जा रहा है।

श्री राकेश कालिया :अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी से एक और बात जानना चाहता हूँ कि आपने नेशनल हाईवे सारे बना दिए है, ऊना से सुमारपुर तक भी बन चुका है। लेकिन जो एन0एम0टी0 रोड़ है यह दो स्टेटस को जोड़ता है। यह पूरी तरह टूट चुका है तो क्या आप इसको शीघ्रातिशीघ्र बनाने के आदेश देंगे? कांगड़ा के जितने भी माननीय सदस्य है, चाहे पठानियां साहब है सभी के क्षेत्र में सड़कें टूटी हैं। इसके अतिरिक्त मेरे विधान सभा क्षेत्र का 20 किलोमीटर का रोड़ गायब है। माननीय सदस्य अजय महाजन जी व नीरज भारती जी भी

उसी रोड़ से ट्रेवल करते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहूँगा कि इस रोड़ को शीघ्रातिशीघ्र ठीक किया जाये या फिर यह मामला इन्टर स्टेट कनेक्टिविटी के माध्यम से सेंट्रल गर्वनमेंट को भेजा जाये ।

मुख्य मंत्रीः सर, मैंने इनका प्रश्न नोट कर लिया है और पूरी जानकारी व तथ्य प्राप्त करके सूचना इनको भेज दूगां ।

प्रश्न समाप्त

28.08.2015/1155/TCV/AS/2

प्रश्न संख्याः 2394

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभापटल पर रखी गई है वह ठीक नहीं है, फेक है। स्पेसीफिक नहीं है। जैसे इसके 'ए' पार्ट में बताया गया है कि लैण्ड स्लेक्ट कर दी है और मैंने लैंड की ऑनरशिप के बार में भी पूछा था। इसमें बताया गया है कि honourship is of the Government. लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं सपेसीफिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इसकी ऑनरशिप कौन से डिर्पाटमेंट के पास है ,क्या रेवन्यू, आई0टी0 या उद्योग विभाग के पास है? क्योंकि मेरे मुताबिक यह लैंड आई0टी0 डिर्माटमैंट की है। इसके 'सी' पार्ट में बताया गया है-The setting up of Biotechnology Park will depend upon various factors such as type of interested investors, business model and overall market conditions. मुझे लगता है कि इसमें इनिशियेटिव/परसूऐशन गर्वनमैंट ने कुछ नहीं लिया है तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या परसूऐशन से यहां इण्डैस्ट्रिज़ को लगाया जाएगा? वरना इसका वही हाल होगा जो धबोटा इण्डैस्ट्रियल ऐरियाज़ का हुआ है। तीन इण्डैस्ट्रियल ऐरियाज़ अनाऊँस हुए थे, धबोटा ,पंडोगा और कंद्रोवी । इसमें दो हो चुके हैं और धबोटा अभी तक पेंडिग है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि धबोटा कब तक होगा और क्या उसमें भी सेम इन्फ्रास्ट्रक्चर होगा जो अन्य इण्डैस्ट्रियल ऐरियाज़ में हैं । ऐसा न हो कि ये इन्वेस्टर के हाल पर छोड़ दिया जाये और जैसे

बी0बी0एन0 एरिया में हेफेज़र्ड डवैल्पमेंट हुई है, वैसी ही यहां पर भी हो जाये। इसका भी मैं माननीय मंत्री से आश्वासन चाहुँगा ।

उद्योग मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो बी0टी0 पार्क इनके विधान सभा क्षेत्र के तहत है, यह लगभग 39 करोड़ की लागत से पी0पी0पी0 मोड़ पर बनना था। इसके लिए सेंटर गवर्नमेंट द्वारा 9 करोड़ रूपये और स्टेट गवर्नमेंट ने 7.54 करोड़ रूपये शेयर के रूप में देना थे। इसमें प्राईवेट इन्वेस्टर का 22.11 करोड़ रूपये का शेयर था। मार्च 2005 में इस बारे में फैसला हुआ था कि बी0टी 0पार्क बनाना है। उसके बाद भी इसके लिए लगातार प्रयास चलते रहे, इसमें कन्सल्टैंट बगैरह भी

28.08.2015/1155/TCV/AS/3

अपाँट हुए। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस इलाके में बी0टी0 पार्क के लिए न तो किसी इन्वेस्टर ने इन्ट्रेस्ट दिखाया है,सेंटर ने कोई शेयर दिया है और न ही इसकी लैंड ट्रांस्फर हुई है। 2010 में तत्कालीन सरकार ने यह फैसला किया था कि इसको परस्यू किया जाये और इसको बनाने का प्रयास किया जाये। उन प्रयासों के बावजूद भी यहां पर किसी ने इन्ट्रेस्ट नहीं दिखाया है। न हमारे पास ज़मीन हैं और न हमारे पास इसके लिए पैसा है। अब केन्द्र में आपकी सरकार है, आप केन्द्र में जायें और वहां से इसके लिए फण्डज़ ----

श्रीमती एन0एस0 ----जारी

28.08.2015/1200/NS/DC/1

उद्योग मंत्री-----क्रमागत।

आप केंद्र में जाएं और वहां से फंडज़ को रिलीज करवाएं और इसको सैंकशन करवाएं (-व्यवधान-) नहीं अब हम तो प्रयास कर चुके हैं। 10 साल हो चुके हैं। ऐसा नहीं है। आप क्या करेंगे? आप भी तो कोई मदद करेंगे। स्थानीय विधायक भी तो कोई प्रयास करे। इसको 10 साल हो चुके हैं और हमारे पास उद्योग विभाग (--

-व्यवधान---) सुनो पहले तो प्रश्न आपने बी.टी.पार्क का किया है। पहले आप बी.टी.पार्क की करें। बी.टी.पार्क के लिए केंद्र ने पैसा देना था। केंद्र का पैसा नहीं आया है। 2005 से लेकर दस साल हो गए और आपकी सरकार के समय में भी निरंतर प्रयास हुए हैं। जब इसका कोई पैसा ही नहीं आया तो उद्योग विभाग तो उस स्थिति में बनाएगा जब हमें कोई पैसा आएगा। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं । ऐसा है अगर आप सदन में आश्वासन चाहते हैं तो मैं आपको आश्वासन कैसे दे दूं जब हमारे पास पैसा ही नहीं आया। इस पार्क को लेकर कोई पैसा नहीं आया।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जब पैसा ही नहीं आया तो काम शुरू नहीं हुआ। आप सारे एक साथ मत बोलो। आप अपना प्रशन अलग कीजिए। माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। इनका मतलब ही समझ नहीं आ रहा है।

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः सर, दबोटा को बताया जाए उसका आश्वासन दिया जाए कि उसको बनाएंगे कि ऐसे ही छोड़ देंगे।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी तो तैयार हो रहे हैं।

उद्योग मंत्रीः कंदरोड़ी और पंडोगा एरियाज़ के लिए फोरैस्ट क्लीयरैंस व पैसा केंद्र से आया है। इसलिए उनको हम शुरू कर रहे हैं। एक का 122 करोड़ रूपया है और दूसरे का 106 करोड़ रूपया है। (--व्यवधान--) और नहीं स्टेट का भी शेयर है सेंटर भी उसमें यह यू.पी.ए. सरकार के समय में सैंक्शन हुआ था यह भी मैं आपको बता दूं।

28.08.2015/1200/NS/DC/2

ये दोनों एरियाज़ उस समय सैंक्शन हुए जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अब केंद्र में आपकी सरकार है दबोटा के लिए पैसा दिला दो।

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने यहां पर बड़ा विस्तृत उत्तर देने की यहां पर कोशिश की है लेकिन साथ में ही सदन को गुमराह कर रहे हैं। इस पार्क के लिए 2005 से लेकर 10 साल हो गए। क्या सरकार इस बी.टी.

पार्क जो नालागढ़ दबोटा में बनना है इसको नए सिरे से टेकअप करके फिर भारत सरकार को सबमिट करेगी? क्या हिमाचल प्रदेश सरकार जल्दी से इस प्रोजैक्ट को बनाकर नए सिरे से डी.पी.आर. बनाकर भारत सरकार को सबमिट करेगी।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें सारा प्रोसैस हुआ। भाजपा सरकार के समय इसमें कन्सैलटेंट अप्याईंट हुए। किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखायी तो उसमें अब क्या किया जा सकता है।

(प्रश्न काल समाप्त)

28.08.2015/1200/NS/DC/3

कागजात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कुछ दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो कि निम्न प्रकार से हैं:-

(i) जल (प्रदूषण का नियन्त्रण एवं निवारण), अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण का नियन्त्रण एवं निवारण), अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7)के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के वार्षिक लेखे वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित);

(ii) हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 1983 की धारा 12(5) के अन्तर्गत लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश का 28वां वार्षिक संकलित प्रतिवेदन, वर्ष 2014; और

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वरिष्ठ पर्यावरण अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या:एसटीई-बी(3)-6/2010 दिनांक 18.04.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.06.2015 को प्रकाशित;

28.08.2015/1200/NS/DC/4

अध्यक्ष : अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कुछ कागजात सभा पटल पर रखता हूं जो कि निम्न प्रकार से हैं:-

(i) संस्था पंजीकरण अधिनियम,1860 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15; और

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 ।

श्री नेगी द्वारा-------- जारी

28.08.2015/1205/negi/Dc/1

Hon'ble Speaker: What do you (Shri Govind Singh Thakur) want to say? There cannot be any Point of Order in Question Hour. Question Hour is finished now. (interruption) Point of Order in the Question Hour

cannot be taken. (Interruption) I will not entertain any Point of Order on any question. (interruption) Let me understand what is there in the Point of Order.

श्री गोविन्द्र सिंह ठाकुर: सर, संजौली कॉलेज़ में....(व्यवधान)...

Speaker: This is not to be taken. No, no. Not at all. What you are going to speak, I have no information about that. (interruption) I will send for the report from the Government, then I will decide what is to be done. Let me have a report from the Government please. If I don't know any matter then how can I take up the matter. I cannot take up the subject when I don't know about it. Let the report from the Government come. (interruption). The papers are with you and not with me. I have got no papers with me. We will send for the report from the Government which you are asking. We will also send for the comments from the Government. (interruption) No subject cannot be taken off hand. (interruption) Speaker cannot take anything off-hand. (interruption)

श्री रविन्द्र सिंह : कॉलिंग अटेंशन का नोटिस 3 दिन पहले दिया है और आज चौथा दिन है। एक तरफा कार्रवाई हो रही है। एक डिग्री कॉलेज़ का प्रिंसीपल वहां की छात्रा को बालों से पकड़ता है। ...(व्यवधान)....

Speaker: That is not the Question. (interruption)

(विपक्ष के सभी सदस्य खड़े हो कर नारेबाजी करने लगे)

28.08.2015/1205/negi/Dc/2

मुख्य मंत्री : यह बिल्कुल झूठ है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके ए.बी.वी.पी. के विद्यार्थियों ने प्रिंसीपल को पीटा, उसकी बीबी को पीटा और लॉ-लैसनेस की है। They deserve to be punished. You should be ashamed of that. ...(व्यवधान)...

(सत्तापक्ष के सभी सदस्य भी खड़े हो करके नारेबाजी करने लगे)

आप गुंडागर्दी का समर्थन कर रहे हैं। (interruption) Yes, you are doing it. ____(interruption)____ आप गुंडागर्दी का समर्थन कर रहे हैं। ...(व्यवधान) ...आप गंडागर्दी का समर्थन कर रहे हैं। I can tell you this Government will maintain law and order and take action against the *gundas*. Law will prevail. कानून की रक्षा होगी। Law will prevail and all those people who attacked the Government College at Sanjauli; attacked the Principal, his wife and other teachers they will be punished. _____(interruption)___ आप कृपा करके गुंडागर्दी का समर्थन मत कीजिए। Please don't do it. _____(interruption)_____ हां, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडों के साथ कानूनी कार्रवाई की जायेगी। ____(interruption)____

(विपक्ष के सभी सदस्यों द्वारा नारेबाजी) (***)

आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आपको शर्म आनी चाहिए। आप गुंडागर्दी का समर्थन कर रहे हैं। ...(व्यवधान) ...You should be ashamed of that. Law will take its own course. ...(व्यवधान).. जो गुंडागर्दी का समर्थन करते हैं, वे इस प्रदेश के अन्दर गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। .....(व्यवधान).... You show something._____(interruption)____ बिल्कुल हम आपसे सहमत हैं कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जो गुंड़े हैं जिन्होंने प्रिंसीपल को पीटा, उनकी वाईफ को पीटा और स्टॉफ को पीटा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। They will not only

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

28.08.2015/1205/negi/Dc/3

be punished but will be punished rusticated from the University.

अध्यक्षः मंत्री महोदय, आप पढ़िये।....(व्यवधान)... मंत्री जी, पढ़िए आप।...प्लीज-प्लीज़। मंत्री जी आप अपना पढ़िये।.....(व्यवधान)....

मुख्य मंत्री : मैं नोट कर रहा हूं कि कौन गुंडों का समर्थन कर रहे हैं।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी.....

28.08.2015//1210यूके/एजी/1

व्यवधान के पश्चात्---

मुख्य मंत्रीः जो गुंडागर्दी कर का समर्थन कर रहे हैं वे खुद गुंडे हैं, गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप बोलें । (व्यवधान)

(**विपक्ष द्वारा नारेबाजी होती रही**)

मुख्य मंत्रीः सुनिए, सरकार चलेगी लेकिन गुंडागर्दी नहीं चलेगी ।

मुख्य मंत्रीः मै नोट कर रहा हूं कि कौन गुंडों का समर्थन कर रहे हैं, जो गुंडों का समर्थन कर रहे हैं, वे गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं । (व्यवधान)

(**विपक्ष द्वारा नारेबाजी जारी रही**)

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, आप बोलें ।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित कागज़ात सभा पटल पर रखता हूं

(iii) संस्था पंजीकरण अधिनियम,1860 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश
सरकार अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15; और

(iv) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 ।

28.08.2015/1210/यूके/एजी/2

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन होंगें ।

अब श्री रविन्द्र सिंह रवि, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16) , लोक लेखा समिति के प्रतिवेंदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापति करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे । (व्यवधान)

मेरा आपसे निवेदन है कि प्रश्नकाल खत्म हो गया । (व्यवधान) पहले आपे मेरी बात सुनिए उसके बाद बोलना । जो आपने सबजैक्ट रखा है उस पर प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है ही नहीं कहीं There is no law in that. प्वाइंट ऑफ ऑर्डर किस बात का है? If you want to raise a subject then let me send the subject to the Government and get the report only then I will satisfy you. When I don't know anything about the subject, how can I discuss. कम से कम रिपोर्ट तो आने दीजिए, इतने उतावले मत होइए । I will do everything for you. लेकिन आप मुझे इसकी रिपोर्ट मंगवाने दो then we will take action about that. किस चीज़ का प्वाइंट ऑफ आर्डर है? There is no subject in the Assembly being discussed. Please.

अब श्री रविन्द्र सिंह रवि, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16), लोक लेखा समिति के प्रतिवेंदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापति करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, 3 दिन पहले सोमवार को संजौली कॉलेज में जो गुंडागर्दी हुई है । उसका नियम-62 के अन्तर्गत नोटिस दिया था । उसमें डिटेल आने में कितनी देर लगेगी, सारे अखबारों में यह छपा हुआ है । वहां पर टीचर ने लड़के को गले से पकड़ा हुआ है आप इस अखबार (अखबार की कटिंग दिखाते हुए)में देख

28.08.2015//1210यूके/एजी/3

सकते हैं। देखिए जरा। हमने इस विषय पर नोटिस दिया हुआ है उस नोटिस को आपने 4 दिन में लगाया ही नहीं तो यह कब लगेगा ? हमारा यही निवेदन है आपसे। वहां छात्रा को (व्यवधान)

उद्योग मंत्रीः हम तो वह भी दिखा देंगे जिसमें बच्चों ने प्रिंसीपल को पकड़ा हुआ है।(व्यवधान)

अध्यक्षः आप एक मिनट सुन लीजिए। Please listen to me. Just a minute. (Interruption)

एस0एल0एस0 द्वारा जारी-----

28.08.2015/1215/sls-ag-1

(सदन में शोर-शराबे के बीच सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे।)

अध्यक्ष :...(व्यवधान)...आप मेरी बात सुन लीजिए। ...(व्यवधान)...एक मिनट बैठिए। ऐसा है let the report come from the Government. मैंने उसे गवर्नमैंट से रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए भेजा है ,गवर्नमैंट से रिपोर्ट आने दीजिए।...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी जब नारेबाजी हो रही थी ,उस समय श्री सतपाल सिंह सत्ती, जो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि (***) सी.पी.एस. नहीं चलेगा।...(व्यवधान)...इनको पता होगा कि वह कौन है। ...(व्यवधान)... ये इनकी (श्री नीरज भारती की ओर संकेत करते हुए) ओर इशारा कर रहे थे।... (व्यवधान)... This is a level to which BJP has gone down. बातचीत करने का कोई स्तर ही नहीं रहा, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा। (***) किसी को कुछ बोलना।... (व्यवधान)...You (Shri Satpal Singh Satti) said it. It is on record. (Interruption)

अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... बैठ जाइए, प्लीज।... (व्यवधान)... बैठ जाइए, बैठ जाइए।... (व्यवधान)... Please don't shout.

(श्री सतपाल सिंह सत्ती कुछ कागज़ात सदन में दिखाने लगे।)

*****अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।**

28.08.2015/1215/sls-ag-2

मुख्य मंत्री : यह सब चीजें और फोटो उन अख़बारों में आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की समर्थक हैं। उन लोगों ने यह गलत ख़बरें छापी हैं। उन्होंने असलियत को छुपाने की कोशिश की है।... (व्यवधान)... आप गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। आपका फ़र्ज है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर, जो कोई भी गलत काम करता है ,आपको उसकी भर्त्सना करनी चाहिए।...(व्यवधान)... जो कॉलेज ऑफ एक्सलैंस है, उसके अंदर आप गुंडागर्दी फैला रहे हैं।... (व्यवधान)...आप के

लोगों ने प्रिंसिपल पर अटैक किया ,प्रिंसिपल की वाईफ पर अटैक किया। ...(व्यवधान)... Get out. (Interruption)

(विपक्ष के सभी सदस्य वैल ऑफ द हाऊस में आकर नारेबाजी करने लगे।)

अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

28/08/2015/1235/RG/AS/1

(विपक्ष के माननीय सदस्य सदन के बीचो-बीच बैठकर नारेबाजी कर रहे थे।)

-----(**व्यवधान**)----

Speaker: I request the Hon'ble Members to come to their seats please. I want to announce something. मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करुंगा कि कृपया वे अपनी-अपनी सीटों पर आकर बैठ जाएं। मैं कुछ अनॉउन्समैंट कर रहा हूं ,I am announcing something. **कृपया आप अपनी सीट पर आ जाइए।**----(**व्यवधान**)---**मैं सचिव, विधान सभा से चाहूंगा कि जो अभी पीछे यहां रिमार्क्स किए गए हैं, असंसदीय शब्द बोले गए हैं उनको ***ऐक्सपन्ज किया जाए और जो भी शब्द किसी माननीय सदस्य के बारे में यहां बोले गए हैं या प्रैस के बारे में बोले गए हैं ,वे कार्यवाही से ***डिलीट किए जाएं। I also say that some photographs were snapped here in the Assembly. I warn him that no publication of any photograph inside the House can be published in the newspaper or anywhere. I ask that Cameraman to destroy it as no photograph can be snapped in the House and if it is published then it is punishable.**

(विपक्ष के माननीय सदस्य सदन के बीचो-बीच बैठकर नारेबाजी करते रहे।)

ए.एस. द्वारा अंग्रेजी जारी

28/08/2015/1240/MS/AS/1

I expunge those remarks which have been made against the Press; against the Hon'ble Members; and against any Party. It is my warning that no publication of any photograph will be done.

(**विपक्ष के माननीय सदस्य सदन के बीचों-बीच आकर नारेबाजी करते रहे**)

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति ,समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री रविन्द्र सिंह जी आप अपनी सीट पर आकर लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की प्रति सभा में उपस्थापित करें तथा सदन के पटल पर रखें। आइए आप लोग बोलिए। ये रिपोर्ट्स बहुत जरूरी हैं। अपनी रिपोर्ट्स ले (lay)कीजिए। Please, I request you to come. I explain my position. Please, come to the seats then discuss the matter. It is my request. Please, come to the seats. धूमल साहब कृपया अपनी सीट पर आइए। I hope that this incident will not happen here. It's very unfortunate. मैंने सबकुछ ऐक्सपंज कर दिया है इसलिए अब आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर आइए।

अब लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की जाएगी तथा सदन के पटल पर भी रखी जाएगी। अगर चैयरमेन नहीं है तो मैम्बर प्रति ले (lay)करेंगे। I ask the Secretary Vidhan Sabha to take some member from the list.

श्री अजय महाजन ,सदस्य, लोक लेखा समिति :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं जोकि इस प्रकार है:-

(i) समिति के **288वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 34वां कार्रवाई प्रतिवेदन

28/08/2015/1240/MS/AS/2

(बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **योजना विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति के **9वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 77वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **आयुर्वेद विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति के **73वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 97वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष: अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारी ,सभापति, लोक उपक्रम समिति :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूं जोकि इस प्रकार हैं:-

(i)समिति का**45 वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 10वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और

(i) (ii) समिति का**46 वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 22वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-

(ii)
(iii)
(iv)
(v) 15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित** से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष: अब श्री सुरेश भारद्वाज ,सभापति, सामान्य विकास समिति ,समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री संजय रतन, सदस्य, सामान्य विकास समिति :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2015-16), समिति का13 वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के द्वितीय मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान

सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा **विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्रीमती आशा कुमारी, सदस्य, ग्रामीण नियोजन समिति ,समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारी ,सदस्य, ग्रामीण नियोजन समिति :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2015-16), समिति का17 वां मूल प्रतिवेदन जोकि पशु पालन विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूं।

28/08/2015/1240/MS/AS/4

सांविविधक इकाई हेतु मनोनयन

अध्यक्षः अब माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों के मनोनय बारे प्रस्ताव करेंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः That in pursuance of the under Section 16 (1)(j) of the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014 (Act No. 2 of 2015), the Member of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Hon'ble Speaker may direct, two members from amongst themselves

to serve as the Member of the Board of Governor of Himachal Pradesh Technical University, Hamirpur for a period of three years commencing from date of first meeting of Board of Governor of the University.

जारी श्री जे0के0/ एएस द्वारा-------

28.08.2015/1245/जेएस/एएस/1

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि that in pursuance of the under Section 16 (1)(j) of the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014 (Act No. 2 of 2015), the Member of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Hon'ble Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as the Member of the Board of Governor of Himachal Pradesh Technical University, Hamirpur for a period of three years commencing from date of first meeting of Board of Governor of the University.

(प्रस्ताव स्वीकार)

28.08.2015/1245/जेएस/एएस/2

<u>वर्ष 2009-2010 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर अधिक मांगेः</u>

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर अधिक मांगों का विवरण प्रस्तुत करेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय लोक लेखा समिति ने 8 सदस्यीय प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर अधिक मांगों पर विचार-विमर्श करने के उपरान्त संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत विनियमन करने की सिफारिश की है। तद्नुसार मैं

वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर आर्थिक मांगे इस माननीय सदन में प्रस्तुत करता हूं। मैं माननीय सदन में वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर अधिक मांगों की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्षः लोक लेखा समिति ने इस संबंध में अपनी सिफारिशें कर दी है। अतः परम्परा के अनुरूप इस पर चर्चा नहीं होती है। इसलिए मैं सम्बन्धित मांगों को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता हूं।

अब मांगों पर विचार एवं पारण होगा। अब मांगों पर मतदान होगा। मैं, सभी मांगों को एक साथ ही सदन में मतदान के लिए लेता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि वर्ष 2009-10 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मांग संख्या 1,4,5,6,7,8,10,13,14,16,19,23,25,26,27,28,29 और 32 के अन्तर्गत हुए अधिक व्यय को नियमित करने हेतु राज्यपाल महोदय को अधिक व्यय की गई राशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि वर्ष 2009-10 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मांग संख्या 1,4,5,6,7,8,10,13,14,16,19,23,25,26,27,28,29 और 32 के अन्तर्गत हुए अधिक

28.08.2015/1245/जेएस/एएस/3

व्यय को नियमित करने हेतु राज्यपाल महोदय को अधिक व्यय की गई राशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

मांगे पूर्ण रूप से पारित हुई।

28.08.2015/1245/जेएस/एएस/4

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक-3) विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक-14) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक-3) विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक-14) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक-3) विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक-14) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुमति दी गई।

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक-3) विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक-14) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक-3) विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक-14) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक-3) विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक-14) को पुरःस्थापित हुआ।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-------

28-08-2015/1250/SS-DC/1

अध्यक्ष क्रमागतः

हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्यांक 19)

अब माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 19) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 19) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 19) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 19) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अध्यक्षः अब माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 19) को पुरःस्थापित करेंगी।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 19) को पुरःस्थापित करती हूं।

28-08-2015/1250/SS-DC/2

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 19) पुरःस्थापित हुआ।

* * *

28-08-2015/1250/SS-DC/3

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 21)

अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 21) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का

विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 21) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 21) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 21) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अध्यक्षः अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 21) को पुरःस्थापित करेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और

28-08-2015/1250/SS-DC/4

फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 21) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 21) पुरःस्थापित हुआ।

******

28-08-2015/1250/SS-DC/5

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 17)

अब माननीय आबकारी एवं कराधान मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 17) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

आबकारी एवं कराधान मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 17) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 17) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 17) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अध्यक्षः अब माननीय आबकारी एवं कराधान मन्त्री हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 17) को पुरःस्थापित करेंगे।

आबकारी एवं कराधान मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 17) को पुरःस्थापित करता हूं।

28-08-2015/1250/SS-DC/6

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 17) पुरःस्थापित हुआ।

जारी श्रीमती के0एस0

28.08.2015/1255/केएस/एजी/1

अध्यक्षः अब माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोन विधयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

आबकारी एवं कराधान मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान

संशोन विधयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोन विधयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोन विधयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)
अनुमति दी गई।

28.08.2015/1255/केएस/एजी/2

अब माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोन विधयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करेंगें।

आबकारी एवं कराधान मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोन विधयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोन विधयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 18) पुरःस्थापित हुआ।

28.08.2015/1255/केएस/एजी/3

अध्यक्षः अब माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 20) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

आबकारी एवं कराधान मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 20) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 20) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 20) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)
अनुमति दी गई।

अब माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 20) को पुरःस्थापित करेंगें।

आबकारी एवं कराधान मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 20) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 20) को पुरःस्थापित हुआ।

28.08.2015/1255/केएस/एजी/4

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3)विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 14) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3)विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 14) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3)विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 14) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3)विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 14) पर विचार किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)
अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

28.08.2015/1255/केएस/एजी/5

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

28.08.2015/1255/केएस/एजी/6

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3)विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 14) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3)विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 14) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 14) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3)विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 14) को पारित किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3)विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 14) ध्वनिमत से पारित हुआ।

28.08.2015/1255/केएस/एजी/7

अध्यक्षः अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों के कल्याण निधि विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 15) पर विचार किया जाए।

मंत्री जी अ0व0 की बारी में---

28.8.2015/1300/av/ag/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 201 5(201 5 का विधेयक संख्यांक 15) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 201 5(201 5का विधेयक संख्यांक 15) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 201 5(201 5का विधेयक संख्यांक 15) पर विचार किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 25 तक विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,110 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 , 21 ,22 ,23 ,24 और 25 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

28.8.2015/1300/av/ag/2

पारण :

अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 201 5(201 5का विधेयक संख्यांक 15) को पारित किया जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 201 5(201 5 का विधेयक संख्यांक 15) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 201 5(201 5का विधेयक संख्यांक 15) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 201 5(201 5का विधेयक संख्यांक 15) को पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 201 5 (201 5का विधेयक संख्यांक 15) पारित हुआ।

समाप्त

28.8.2015/1300/av/ag/3

विचार :

अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 201 5(201 5का विधेयक संख्यांक 16) पर विचार किया जाए।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 201 5(201 5का विधेयक संख्यांक 16) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 201 5(201 5का विधेयक संख्यांक 16) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश कृषि,औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 201 5(201 5का विधेयक संख्यांक 16) पर विचार किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

28.8.2015/1300/av/ag/4

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

पारण :

अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश कृषि,औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 201 5(201 5का विधेयक संख्यांक 16) को पारित किया जाए।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश कृषि,औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 201 5(201 5का विधेयक संख्यांक 16) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश कृषि,औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 201 5(201 5का विधेयक संख्यांक 16) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश कृषि,औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 201 5(201 5का विधेयक संख्यांक 16) को पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

हिमाचल प्रदेश कृषि,औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 201 5(201 5का विधेयक संख्यांक 16) पारित हुआ।

समाप्त

28.8.2015/1300/av/ag/5

नियम 102 के अंतर्गत सरकारी संकल्प

अब सरकारी संकल्प होगा। माननीय मुख्य मंत्री नियम 102 के अंतर्गत संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

मुख्य मंत्री श्री टी सी द्वारा जारी

28.08.2015/1305/TCV/DC/1

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह संकल्प छोटे किसानों के बारे में हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां एक ओर हमारी सरकार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के मामलों में उचित कानूनी कार्रवाई के प्रति बचनबद्ध है, वहीं हम लघु व सीमांत किसानों, भूमिहीन और गृहहीन व समाज के निर्धन व पिछड़े वर्ग के प्रति भी संवेदनशील हैं। अतः इस वर्ग की समस्याओं को ध्यान मे रखते हुए, मैनें दिनांक 24 अगस्त, 2015 को सदन को सूचित किया था कि सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जो हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अवैध कब्जाधारकों के विरूद्ध कार्रवाई से उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत इस वर्ग की समस्याओं की समीक्षा कर उचित समाधान सरकार को बाताए जो कानूनी व मानवीय पहलुओं के अनुकूल हो। क्योंकि इस कमेटी के सुझाव व सिफारिशों में कुछ समय लगेगा, मैं यह अनुरोध करूँगा कि यह सदन यह संकल्प पारित करें कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से यह अनुरोध किया जाए कि फिलहाल कार्रवाई को बड़े अवैध कब्जाधारकों अर्थात 10 बीघा से अधिक कब्जों तक ही सीमित रखा जाए व सरकार को उपयुक्त समय दिया जाए कि वह छोटे कब्जाधारक जिन्होंने मजबूरी में सरकारी भूमि पर कब्जा किया है, बारे सभी से विचार-विमर्श पश्चात् उपयुक्त नीति बनाए। इसी के साथ मैं अपना संकल्प माननीय सदन में प्रस्तुत करता हूँः-

"संकल्प"

हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाए कि प्रदेश में सरकारी भूमि पर छोटे कब्जाधारकों के विरूद्ध कार्रवाई को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए ताकि इस विषय पर सरकार द्वारा उचित नीति बनाकर कानूनी व मानवीय दृष्टिकोण को मद्देनज़र रखते हुए समस्या का उचित समाधान किया जा सके।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाए कि प्रदेश में सरकारी भूमि पर छोटे कब्जाधारकों के विरूद्ध

28.08.2015/1305/TCV/DC/2

कार्रवाई को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए ताकि इस विषय पर सरकार द्वारा उचित नीति बनाकर कानूनी व मानवीय दृष्टिकोण को मद्देनज़र रखते हुए समस्या का उचित समाधान किया जा सके।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाए कि प्रदेश में सरकारी भूमि पर छोटे कब्जाधारकों के विरूद्ध कार्रवाई को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए ताकि इस विषय पर सरकार द्वारा उचित नीति बनाकर कानूनी व मानवीय दृष्टिकोण को मद्देनज़र रखते हुए समस्या का उचित समाधान किया जा सके?

(प्रस्ताव स्वीकार)

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में छोटे किसानों के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। मगर मुझे इस बात का दुख है कि जब यह सदन इस संकल्प पर चर्चा कर रहा है तो विपक्ष वैल में आकर, खड़े होकर शोर मचा रहा है,नारे लगा रहा है। इसका मतलब यह है कि इनका छोटे किसानों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये उनके हितैषी नहीं है। ये अपनी राजनीति को ऊपर रखते हैं, किसानों के हितों को नीचे रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को पारित

करने के लिए मान्य सदन का धन्यवाद करता हूँ । अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व कि ------

श्रीमती एन0एस0 ---- जारी

28.08.2015/1310/NS/AS/1

मुख्य मंत्री-------क्रमागत

इससे पूर्व कि आप इस मान्य सदन की कार्यवाही को समाप्त करें मैं यह कहना चाहता हूं कि कल रक्षा बंधन का पवित्र त्यौहार है। मैं अपनी ओर से सभी सदस्यों तथा प्रदेशवासियों विशेषकर महिलाओं को हार्दिक बधाई देता हूं। (--व्यवधान-) मैं यह घोषणा करता हूं कि कल महिलाओं के लिए हिमाचल प्रदेश की सभी बसों में मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।

समाप्त

28.08.2015/1310/NS/AS/2

<u>नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख</u>

अध्यक्षः नियम-324 के अंर्तगत विशेष उल्लेख के मामले निर्धारित हैं और उनके उत्तर पढ़े हुए समझे जाएं। इस समय विपक्ष के सभी सदस्य सदन के बीचों-बीच खड़े होकर नारे लगा रहे हैं अतः उन्हें अनुपस्थित मानते हुए केवल माननीय सदस्य श्री राम कुमार व श्री कुलदीप कुमार जी के विशेष उल्लेख के मामलों के उत्तर उन्हें आज ही उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान हिमाचल प्रदेष में हिमुडा एवं निजी क्षेत्र में निर्मित किये जा रहे फ्लैटों की ओर दिलाना चाहता हूं कि हिमुडा/निजी क्षेत्र में यह फ्लैट किन-किन जिलों में कहां-कहां बनाए जा रहे हैं। प्रदेष में कितने निजी प्रमोटर/कालोनी निर्माता पंजीकृत है और इन्हें किस नियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है प्रदेष में इन द्वारा निर्मित किये गए फ्लैटों/कालोनियों से कितने लोग लाभान्वित हुए है तथा कितने फ्लैट अभी तक

खाली प़डे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार खाली प़डे फ्लैटों को जनहित में लोगों को शीघ्रातिषीघ्र आबंटित करने की कृपा करें''।

शहरी विकास मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय,हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) द्वारा जिला शिमला में 3656, सोलन में 2922, कांग़डा में 152, मण्डी में 30, हमीरपुर में 24, कुल्लू में 16 तथा बिलासपुर में 12 फ्लैटों को निर्मित किया गया है जिन में से शिमला में 3656, सोलन में 2922, कांग़डा में 152, मण्डी में 30, हमीरपुर में 24, कुल्लू में 16 तथा बिलासपुर में 12 फ्लैट खाली पड़े हैं। जिला सिरमौर, ऊना, चम्बा, किन्नौर तथा लाहौल स्पीति में कोई भी फ्लैट निर्मित नहीं किये गए है। इस सम्बन्ध में जिलावार/स्थानवार ब्यौरा अनुलग्नक ''क'' पर संलग्न है।

28.08.2015/1310/NS/AS/3

<u>निजी क्षेत्र से सम्बन्धित सूचनाः-</u>

हिमाचल प्रदेश में निजी क्षेत्रों में जिला शिमला में 544, सोलन में 11227, कांग़डा में 164, कुल्लू में 302, सिरमौर में 116 तथा चम्बा में 08 फ्लैटों को निर्मित किया गया है जिन में से शिमला में 476, सोलन में 10042, कांग़डा में 119, कुल्लू में 302, सिरमौर में 116 तथा चम्बा में 08 फ्लैट खाली प़डे हैं। जिला किनौर, लाहौल स्पीति, बिलासपुर, ऊना, मण्डी और हमीरपुर में निजी क्षेत्रों में कोई भी फ्लैट निर्मित नहीं किये गए हैं। निजी क्षेत्रों द्वारा निर्मित किये गए 12361 फ्लैटों में से कुल 1298 फ्लैट लोगों को आवंटित हुए हैं। इस सम्बन्ध में जिलावार/स्थानवार ब्यौरा अनुलग्नक ''ख'' पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में निजी क्षेत्रों में 77 कालोनियॉ/अपार्टमैन्ट बनाने हेतु लाइसैन्स जारी किए गए हैं जिनमें से 02 प्रमोटरों ने अपने लाईसैन्स वापिस ले लिये हैं शेष 75 प्रमोटरों द्वारा अनुमानित 1384.59 करो़ड रूपये का निवेश किया जाना प्रस्तावित है। इन प्रमोटरों द्वारा 12892 फ्लैट, 2577 शॉप/आफिस एवं 338 प्लाट, बनाए जाने प्रस्तावित है जिसमें से 11594 फ्लैट, 2207 शॉप/ आफिस एवं 150 प्लाट खाली व निर्माणाधीन हैं ।

28.08.2015/1310/NS/AS/4

प्रदेश में अभी तक 324 कलोनाल्ृजर/ प्रमोटर/ कालौनी निर्माता रजिस्टर्ड हुए है। इन मे से 295 कलोनाईजर/ प्रमोटर/कालौनी निर्माता को हिमाचल प्रदेश अपार्टमैन्ट एवं सम्पति विनियम एक्ट, 2005 के अर्न्तगत तथा 29 कलोनाईजर/ प्रमोटर/ कालौनी निर्माता को हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अर्न्तगत रजिस्टर्ड़ किया गया है।

हिमाचल प्रदेष आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) एक व्यवसायिक स्वायतता संस्था है तथा हिमुडा के उपनियमों (bylaws) के तहत खाली फ्लैटस को जनहित में आवंटित करने का नियम/प्रावधान नहीं है। हिमुडा के निदेषक मण्डल (BODs) की 35वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिन फ्लैटों का दो बार या उससे अधिक विज्ञापन हो गया हो और जिनका विक्रय नहीं हुआ है उनको स्थिर मूल्य के आधार पर पहले आओ पहले पाओ (first cum first basis with freezing cost) पर दे दिया जाएगा। तदानुसार सरकार की स्वीकृति उपरान्त माह जुलाई, 2015 में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

इसी प्रकार हिमाचल प्रदेष नगर एवं ग्राम योजना विभाग में एक्ट 1977 (संशोधित अधिनियम 2015) की धारा 78 (पी) के

28.08.2015/1310/NS/AS/5

अन्तर्गत पंजीकृत बिल्डरों को लाईसेन्स दिया जाता है । लाईसेन्स देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो भूमि बिल्डर के नाम है तथा जिस पर परियोजना प्रस्तावित है उस पर बिल्डर अपनी पूंजी लगाकर नियमानुसार कलोनी/फ्लैट्स का निर्माण करेगा परन्तु परन्तु निजी क्षेत्र में बिल्डर द्वारा निर्मित खाली पड़े फ्लैट्स/आवासों को जनहित में आबंटित करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

****

28.08.2015/1310/NS/AS/6

अनुलग्नक

''क''

हिमुडा द्वारा निर्मित/आबंटित तथा खाली प़डे फ्लैटों की सूचना

क्र0सं0	जिला	कालौनी का नाम	कालौनी की संख्या	फ्लैट	आबंटित फ्लैट	खाली फ्लैटों की संख्या
शिमला						
1.		न्यू शिमला, सेक्टर 1 से 4 तक	1	876	876	-
2.		न्यू शिमला, सेक्टर 5 से 6 तक	1	427	422	5
3.		विकास नगर	1	1054	1054	-
4.		फलॉवरडेल	1	168	159	9
5.		कसुम्पटी	1	126	126	-
6.		स्ट्रॉबैरी हिल	2	226	226	-
7.		संजौली	1	363	360	3
8.		जाखू	1	84	84	-
9.		शोघी	1	236	236	-
10.		क्लेसटन	1	166	166	-
11.		ठियोग	1	12	-	12
12.		नोल्जवुड	1	122	122	-
13.		रामपुर सिंघला	1	8	2	6
14.		चुहा बाग		-.	-	-
15.		रोहडू		-	-	-
16.	ज़ोड		16	3868	3833	35

सोलन						
1		बसाल फेज-1	1	232	210	22
2		सोलन फेस-1	1	.-		-
3		सोलन फेस-2	1	162	162	-
4		परवाणू	1	1293	1263	30
5		मन्धाला	1	166	91	75
6		बददी, 1 से 4	4	118	69	49
7		भटोलीकलां	1	608	545	63
8		भटोलीखूर्द, बददी	1	-	-	-
9		नालाग़ढ	1	192	123	69
10		कण्डाघाट	1	151	151	-
		ज़ोड	13	2922	2614	308
सिरमौर						
1		नाहन	1	9	9	-
2		पांवटा साहिब	1	-	-	-
3		शुभख़ेडा	1	-	-	-
4		कालाअम्ब	1	-	-	-
5		जरजा , नाहन	1	-	-	-
		ज़ोड	5	9	9	-
कांग़डा						
1		लोहना	1	-	-	-
2		बिन्द्रावन 1 व 2	2	-	-	-
3		होल्टा, पालमपुर	1	-	-	-
4		कॉग़डा	1	48	48	-
5		सिध्दपुर	1	104	98	6

6		धर्मशाला	1	-	-	-
7		खनयारा	1	-	-	-
8		कन्दरौरी	1	-	-	-
9		देहरा	1	-	-	-
10		नूरपूर	1	-	-	-
11		इंन्दौरा, बाबू बीरबल	1	-	-	-
		जो़ड	12	152	146	6
मण्डी						
1		सन्या़ड	1	-	-	-
2		भियूली	1	-	-	-
3		दौन्दी	1	-	-	-
4		सुन्दरनगर	1	30	30	-
		जो़ड	4	30	30	-
हमीरपुर						
1		हमीरपुर 1 से 3	3	24	11	13
2		नया नगर हमीरपुर	1	18	18	-
3		दरूही	1	-	-	-
		जो़ड	5	42	29	13

ऊना						
1		ऊना 1 से 4	4	-	-	-
2		बंगाणा	1	-	-	-
		जो़ड	5	-	-	-
चम्बा						
1		हरीपुर -सरोल	1	-	-	-
		जो़ड	1	-		
कुल्लू						
1		देवता ग्राउंड	1	-	-	
2		बजौरा, शाही नाला	1	48	2	46
		जो़ड	2	48	2	46
बिलासपुर						
1		बिलासपुर, फेज 1 व 2	2	12	1	11
		जोड	2	12	1	11
		कुल योग	65	7,083	6664	419

अनुलग्नक ''ख''

निजी क्षेत्रों में निर्मित/आबंटित तथा खाली प़डे फ्लैटों की सूचना

क्र0सं0	जिला	कालौनी का नाम	फ्लैट	आबंटित फ्लैट	खाली फ्लैट
शिमला					
1.		टिक्कर	104	0	104
2.		भलावग	16	0	16
3.		षिलगांव	14	0	14
4.		क्मयाना	94	68	26

5.		वेम्लोई	24	0	24
6.		क्यारी	52	0	52
7.		टिक्कर ठियोग	64	0	64
8.		नालदेहरा	32	0	32
9.		कुफरी-जुन्गा	104	0	104
10.		चम्याना	40	0	40
	जोड		544	68	476
सोलन					
1.		डाकरू माजरा	1824	215	1609
2.		कथा	450	&	450
3.		भटोली कलां	320	320	0
4.		सूरज माजरा गुजरन	204	0	204
5.		बिलांवली गुजरन	840	159	681
6.		चाक	96	96	0
7.		जुदीकलां	846	146	700
7.		जुदीखुरद/सुरजमाजरा (लबाणा)	1171	0	1171
8.		कुंझल	842	0	842
9.		गुरवला	48	0	48
10.		गरोग	123	0	123
11.		चम्बाघाट	68	0	68
12.		फेस-॥ बद्दी	300	80	220
13.		थाना	850	0	850
14.		अमीत अपार्टमैन्ट दी मॉल सोलन	36	0	36
15.		ददीभोला	140	0	140
16.		सप्रून सोलन	374	0	374
17.		टिप्परा बरोटीवाला	80	0	80
18.		कुंजल	285	0	285
19.		संसीवाला	475	169	306

20.		देउन	152	0	152
21.		भरोली	122	0	122
22.		जंगल नालका	16	0	16
23.		कल्थ	92	0	92
24.		बरोग कुमारहट्टी	84	0	84
25.		लवी खुरद	368	0	368
26.		बरोग बरोटी कलां	46	0	46
27.		धरंजी	104	0	104
28.		कोहारी कण्डाघाट	198	0	198
29.		भलोरी	47	0	47
30.		जॉल	88	0	88
31.		बेनानी	219	0	219
32.		खदोग	43	0	43
33.		बसाल	39	0	39
34.		ओछघाट	168	0	168
35.		कल्याणपुर	69	0	69
	ज़ोड		11227	1185	10042
कांग़डा					
1.		धार	86	0	86
2.		दराती	30	21	9
3.		रसन सिध्दबारी	48	24	24
	ज़ोड		164	45	119
कुल्लू					
1.		फाती और कोठी	104	0	104
2.		बजोरा	190	0	190
3.		भुरूआ	8	0	8
	ज़ोड		302	0	302
सिरमौर					
1.		नेरी जंगला, यषवन्त नगर	116	0	116

	जोड		116	0	116
चम्बा					
1.		कोहली कुफर डलहोजी	8	0	8
	जोड		8	0	8

28.08.2015/1310/NS/AS/13

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान जिला ऊना में जो सामाजिक सुरक्षा पैंशन एजेंटो द्वारा वितरित की जाती है की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जिला ऊना में लाभार्थियों को पैंशन मिलने में देरी हो जाती है अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि लाभार्थियों को उनके खाते में या मनी आर्डर के माध्यम से पैंशन वितरित की जाए ताकि उनको समय पर इसका लाभ मिल सके।

अध्यक्ष महोदय,

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पैंशन वितरण करने के लिए जिला ऊना को पाइलैट प्रोजैक्ट के तौर पर चुना गया था जिसके तहत पैंशन वितरण करने हेतु नई तकनीक Information Technology Enabled Services का इस्तेमाल किया गया। जिला ऊना में सामाजिक सुरक्षा पैंशन का वितरण दिसम्बर 2008 तक मनीआर्डर के माध्यम से किया जा रहा था। विभाग द्वारा स्टेट बैंक के साथ एम.ओ.यू. समझौता किया गया जिसके अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के माध्यम से फरवरी, 2009 से सामाजिक सुरक्षा पैंशन का वितरण आरम्भ किया गया।

विभाग त्रैमास के आरम्भ होते ही लाभार्थी की पैंशन राशि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को उपलब्ध करवाता है। बैंक द्वारा राशि पैंशनर वार उनके बचत खातों में जमा की जाती है। बैंक द्वारा पैंशन का वितरण बायोमीट्रिक स्मार्ट कार्ड के

माध्यम से गांव स्तर पर Hand Held Machine द्वारा Business Correspondent के माध्यम से किया जाता है।

जिला ऊना में 01 नगर परिषद 04 नगर पंचायतें तथा 235 ग्राम पंचायतें हैं, जिन पर Business correspondent ने पैंशन वितरण करने हेतु 34 Costumer Service Providers (CSPs) नियुक्त किये हैं तथा एक CSPs को 7 से 15 पंचायतों में लगभग 250 से 450 पैंशनरों को पैंशन वितरण करने का कार्य सौंपा गया है। CSPs को

28.08.2015/1310/NS/AS/14

कम्पनी द्वारा एक मोबाईल फोन तथा बायोमीट्रिक मशीन दी गई है जिसके माध्यम से कम्पनी द्वारा निर्धारित Service Delivery Point (SDPs) पर पैंशन वितरित की जाती है।

प्रत्येक CSPs को माह की पहली तारीख से पांच तारीख तक Service Deliverly Point पर पैंशन वितरण करते हैं तथा 6 से 20 तारीख तक ऐसे पैंशनर जो चल-फिर नहीं सकते, उन्हें उनके घर जाकर पैंशन वितरित की जाती है। घर पर उपलब्ध न होने इत्यादि कारणों से पैंशन लेने में अस्मर्थ रहता है तो भी पैंशन की राशि पैंशन के बचत खाता में जमा रहती है। समस्त CSPs को पैंशन का वितरण 30

दिन के भीतर करना होता है। अतः इस प्रकार पैंशन वितरण कार्य एक सुनिश्चित अवधि में पूर्ण किया जाता है।

पैंशन प्राप्त करने के लिए पैंशनर को स्मार्ट कार्ड का उपयोग करना होता है। लाभार्थी को अपनी उंगलियों के निशान बायोमीट्रिक मशीन पर लगाने के उपरान्त पैंशन राशि मिलती है। जिससे पैंशन लाभार्थी को पैंशन पूर्ण पारदर्शिता के साथ प्राप्त होती है।

आई.टी.ई.एस. के माध्यम से पैंशन वितरण को इस प्रणाली के अनेक लाभों के कारण किया गया था जैसे कि डाक विभाग द्वारा पैंशन वितरण करने पर मनीआर्डर भरने व पैंशनरों को भेजने पर सूचियां/मनीआर्डर फार्म भरने में काफी समय एवं धनराशि लगती थी। आई.टी.ई.एस. के माध्यम से सिर्फ पैंशनरों की सूचियां निकाल कर बैंक को मेल कर दी जाती हैं। डाकघर द्वारा पैंशन वितरण करने पर सरकार द्वारा 5 प्रतिशत मनीआर्डर कमीशन डाक विभाग को अदा करनी पड़ती थी परन्तु बैंक द्वारा वितरण पर कुल 3 प्रतिशत कमीशन अदा करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा बायोमीट्रिक प्रणाली उपयोग में लाने के कारण अपात्र पैंशनर

28.08.2015/1310/NS/AS/15

सामने आए व विभाग द्वारा उनकी पैंशन बन्द करके पात्र व्यक्तियों को पैंशन स्वीकृत की गई। डाक विभाग द्वारा पैंशन वितरण पैशनरों के परिवारजनों को भी किया जाता था परन्तु उक्त प्रणाली द्वारा पैंशनरों के इलावा पैंशन वितरण किसी को नहीं किया जा सकता।

अतः इस प्रकार जिला ऊना में सामाजिक सुरक्षा पैंशन एजेंटों के माध्यम से प्रदान की जा रही है। विभाग के संज्ञान में आया है कि इस कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन में कुछ बाधाऐं आ रही है जिसकी विभाग समीक्षा कर रहा है तथा इस सम्बन्ध में उचित निर्णय लिए जाऐंगे ताकि पैंशन लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

समाप्त

8.08.2015/1310/NS/AS/16

<u>नियम-63 के अन्तर्गत अल्पकालीन चर्चा</u>

अध्यक्षः अब नियम-63 के अन्तर्गत अल्पकालीन चर्चा होगी। अब श्री गुलाब सिंह ठाकुर जी चर्चा हेतु अपना विषय उठाएंगे।

(अनुपस्थित)

28.08.2015/1310/NS/AS/17

नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

अध्यक्षः अब श्री सुरेश भारद्वाज नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव करेंगे।

(अनुपस्थित)

अब डा. राजीव बिन्दल नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव करेंगे।

(अनुपस्थित)

28.08.2015/1310/NS/AS/18

अब इस मान्य सदन की बैठक सोमवार दिनांक 31 अगस्त, 2015 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 28 अगस्त, 2015 **सचिव।**